पत्रांक–जी / नि0सु0अ0–14–29 / 2014............................ /

बिहार सरकार
गृह (विशेष) विभाग

प्रेषक

जितेन्द्र कुमार,
सरकार के विशेष सचिव–सह–नियंत्री प्राधिकारी।

सेवा में,

स्पीड पोस्ट

श्री चन्द्रभूषण तिवारी,
पिता–स्व0 बद्रीनाथ तिवारी,
बी–21, व्यास नगर, आशियाना रोड,
खाजपुरा, अंचल–पटना सदर,
जिला–पटना–800025

पटना, दिनांक–..............जनवरी, 2016

विषयः– **बिहार निजी सुरक्षा अभिकरण नियमावली, 2011 के तहत राज्य में निजी सुरक्षा एजेंसी चलाने हेतु आपका आवेदन दिनांक–शून्य-अस्वीकृति।**

महाशय,

उपर्युक्त विषय के प्रसंग में कहना है कि आपके द्वारा बिहार राज्य के अंतर्गत निजी सुरक्षा अभिकरण का कारोबार करने हेतु अनुज्ञप्ति के लिए आवेदन समर्पित किया गया। उक्त के आलोक में निजी सुरक्षा अभिकरण (विनियमन) अधिनियम, 2005 की धारा–7 (4) एवं बिहार निजी सुरक्षा अभिकरण नियमावली, 2011 में निहित प्रावधानों के अनुसार वरीय पुलिस अधीक्षक, पटना से अनापत्ति प्रमाण पत्र एवं अनुशंसा मांगी गयी।

इस संदर्भ में वरीय पुलिस अधीक्षक, पटना द्वारा प्रतिवेदित किया गया है कि आपके द्वारा प्रपत्र–V में उल्लिखित कार्यालय के पते पर आप अपने भाई के साथ रहते हैं, जिसमें निजी सुरक्षा एजेंसी हेतु कोई कार्यालय उपलब्ध नहीं है।

उक्त प्रतिवेदन के आधार पर अधिनियम की धारा–7(4) (a) में निहित प्रावधान के तहत आपसे विभागीय पत्रांक–8502 दिनांक–03.08.2015 द्वारा कारण पृच्छा की गयी कि अपना कार्यालय उपलब्ध नहीं होने तथा सक्षम प्राधिकारी से अनापत्ति प्रमाण–पत्र प्राप्त न होने के आलोक में क्यों नहीं अनुज्ञप्ति हेतु आपका आवेदन, दिनांक–शून्य अस्वीकृत कर दिया जाए ?

प्रत्युत्तर में आपके दिनांक–23.11.2015 के पत्र द्वारा उल्लेखित किया गया है :–

1. *यह सत्य है कि मैं आवेदन में उल्लिखित पते पर अपने भाई के साथ रहता हूँ, क्योंकि यह मकान हमलोगों की पैतृक सम्पत्ति है।*
2. *यह भी सत्य है कि मैंने अपने मकान में कोई कार्यालय अभी तक नहीं खोला है, जिसका कारण यह है कि मैं आपके कार्यालय द्वारा एजेंसी चलाने हेतु आवश्यक आदेश का इन्तजार कर रहा हूँ। बिना आवश्यक आदेश मैंने कार्यालय खोलना उचित नहीं समझा।*

इससे स्पष्ट है कि आपके पास न तो कार्यालय है और न ही कोई अन्य सुविधाऐं उपलब्ध हैं। इसके अतिरिक्त निजी सुरक्षा अभिकरण के संचालन हेतु सक्षम प्राधिकार द्वारा आपको अनापत्ति प्रमाण–पत्र भी नही दिया गया है।

अतः निजी सुरक्षा अभिकरण विनियमन अधिनियम 2005 की धारा–7(4) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए कार्यालय एवं अन्य सुविधाओं की अनुपलब्धता होने तथा सक्षम प्राधिकार से अनापत्ति प्रमाण–पत्र नहीं दिये जाने के कारण अनुज्ञप्ति हेतु समर्पित आपका आवेदन दिनांक–शून्य ***अस्वीकृत*** किया जाता है।

विश्वासभाजन,
ह0 / –
सरकार के विशेष सचिव।
–सह–नियंत्री प्राधिकारी।

ज्ञापांकः–.............................. **पटना, दिनांक–............जनवरी, 2016**

प्रतिलिपिः– वरीय पुलिस अधीक्षक, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

ह0 / –
सरकार के विशेष सचिव
–सह–नियंत्री प्राधिकारी

ज्ञापांकः–175 **पटना, दिनांक–**08**जनवरी, 2016**

प्रतिलिपिः– आई.टी. प्रबंधक, गृह विभाग,बिहार, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

Jitendra 08.01.16
सरकार के विशेष सचिव
–सह–नियंत्री प्राधिकारी

D/Y/Security Agency/Draft